

09.01.18

पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्षकारान् अनुपस्थित कार्ये,
 वादीगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ताओं को
 अनुपस्थित कार्ये। न्यायालय समय में वास्तव में लगवामी
 मंत्री फिर भी उपस्थित नहीं। हमने पत्रावली की
 अवलोकन किया। पत्रावली प्रारम्भ लेखी लक्ष्मी में ही
 न्यायालय द्वारा वादीगण को अनुपस्थित कार्ये नोटिस
 पर पुनः समस्त लक्ष्याना पेश करने हेतु आदेशित
 किया गया परन्तु विगत 4 वर्षों तक पर्याप्त
 अवसर प्रदान किये जाने पर भी वादीगण ने समस्त
 लक्ष्याना पेश न कर न्यायालय के आदेश की
 अवहेलना की है साथ ही न्यायालय का समय जाया
 किया है। अतः न्यायालय वाद को अनर्गत आदेश
 3 नियम 3 व 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज करना
 उचित समझता है। अतः वाद खारिज किया जाता है।
 पत्रावली कैबल कुमार से नष्ट ले कम की जा कर
 पत्रावली मिले। पुनाया गया।

५०२
०९/०१/१८

उपस्थित अधिकारी
सदर (पत्रा०)



आदेश / पत्रावली / वाद के विवरण
 अनुपस्थित कार्ये / न्यायालय समय में
 वादीगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ताओं को